कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: अनुपूरक आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/कले/SW/2020/ 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 40–03/2020–DM-1(A) नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2020 के तारतम्य में **केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को** जिले में चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया था ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के आदेश No.40-3/2020-DM-I(A)Dated 01 May 2020 में प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक A218/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 03.05.2020 के परिपालन में जिले में निम्नानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति होगी :–

- **सप्ताह में केवल 03 दिवस खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठान (समय प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक):–**

  1. बर्तन दुकान, फर्नीचर दुकान, फोटो स्टूडियो, प्रिंटींग प्रेस/फ्लैक्स एवं मोबाईल शॉप (रिचार्ज एवं विक्रय की अनुमति होगी) **(सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार)**
  2. कपड़ा दुकान, जुता एवं चप्पल दुकान, ज्वेलर्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मनीहारी (प्रोव्हिजन स्टोर्स) एवं फैंसी स्टोर्स– **(मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार)**

- **प्रत्येक दिवस खुलने वाली दुकानें (समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक)**
  1. सब्जी, फल, अनाज ।
  2. डेली नीड्स/खाद्यान्न/किराना दुकान (सभी प्रकार) ।
  3. कृषि संबंधित मशीनरी/स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत ।
  4. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान ।
  5. पशुआहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय ।
  6. चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय ।
  7. निर्माण संबंधी हार्डवेयर ।
  8. ऑप्टीकल्स (चश्मा) ।
  9. सायकल (विक्रय/रिपेरिंग) दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर/रिपेयर, स्प्रेयर पार्टस ।
  10. आटा मिल, दाल मिल ।
  11. फोटो कॉपियर ।
  12. स्टेशनरी की दुकान ।
  13. बिजली के पंखे, कुलर एवं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीकल्स सामग्री की विक्रय तथा मरम्मत ।
  14. दर्जी दुकान (टेलरिंग शॉप) ।
  15. खाद्य पदार्थ विक्रय के छोटे दुकान एवं होटलों के संचालन में सामाजिक दूरी के साथ टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा । **होटल में बैठाकर खाना खिलाने या नास्ता कराने की अनुमति नहीं होगी ।**

- **दुकानदारों को वैध गुमाश्ता लाइसेंस की प्रति अपने दुकान के सामने चस्पा करना होगा ।**

- मिस्त्री, बढ़ाई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक की सेवाओं अनुमति है ।
- पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी एवं मेडीकल दुकान/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान छुट प्राप्त अन्य समस्त दुकान/प्रतिष्ठान को प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
- सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी जा सकेगी किन्तु उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा । (संलग्न)
- जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उक्त दुकानों के परिचालन की अनुमति दी जाती है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पान, गुटखा एवं तम्बाकु, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा।
- चाट, गुपचुप ठेला, आईसक्रीम ठेला एवं फास्ट फूड ठेला का संचालन प्रतिबंधित होगा ।
- जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा।
- दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 01–01 मीटर के अंतर पर मार्किग किया जाए। मार्किग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किग किया जाकर सोशल डिस्टेंसिंग से क्रय–विक्रय की कार्यवाही की जाए। **दुकानों के सामने परिसर मे 01–01 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर मार्किंग करने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी ।**
- समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों मे दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकानदार सामाग्री विक्रय नहीं करेंगे। दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाए।
- मास्क का उपयोग नहीं करना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लघंन मानते हुए संबंधित के विरूध्द अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड 500/–रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर 2000/– रूपये अधिरोपित होगा। इसके पश्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है , तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः सुनिश्चित करें की शर्तों के अधीन ही दुकानों को संचालन किया जाए ।
- सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थलों में समस्त प्रकार के कार्यो में सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा । पालन नहीं किए जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100/– रूपए** ।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है । सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100/– रूपए** ।
- दुकानों/प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नहीं रखेंगे, यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।
- सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करे कि सामग्री लोडिंग–अनलोडिंग अपने दुकान की परिधि के भीतर होगी। यह कार्य सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर नहीं किया जावेगा।
- लॉकडाउन के संबंध में शासन/प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
- किसी भी स्थिति में, व्यायामशाला, तरणताल, सिनेमाघर, मॉल, सामाजिक समारोह के भवन वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।

- कोरोना वायरस के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देशों की किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना, पाये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूध्द प्रथमतः चालानी कार्यवाही एवं तद्ोपरांत दुकान/प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।
- सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनो के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी **(वैध लायसेंसधारी 2 वाहन चालक एवं 1 क्लीनर)** । इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु इनमे किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा ।
- सभी प्रकार के ई—कामर्स कुरियर सर्विसेस, डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी ।
- जिला उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रॉसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय—ढाबा को खोलने की अनुमति दी जाती है। चिन्हित भोजनालय—ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित (Take-away) सुविधा होगी भोजनालय—ढाबा में रूक कर अथवा बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

टीपः— उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड—19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक/कले/SW/2020/832-A कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर को पालनार्थ ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
13. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
14. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कमांक/कले/एस डब्ल्यू/2020/832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 के बिन्दु क्रमांक 5 पृष्ठ पर अंकित निर्देश नाई दुकान/सेलुन/ब्यूटी पार्लर के संबंध में निर्देशिका

नाई की दुकान (सेलून) के संचालन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना है :–

1. दुकान के बाहर ग्राहक को हाथ धोने एवं चेहरा धोने के लिए पानी, साबुन की व्यवस्था करें । हाथ एवं चेहरा धोने पर दुकान में प्रवेश दें ।

2. चेहरा धोने के बाद सुखाने के लिए टिशु पेपर देवें या ग्राहक के द्वारा स्वयं के रूमाल का प्रयोग करें ।

3. टिशु पेपर का उपयोग पश्चात् नष्ट करने हेतु डस्टबीन की सुविधा सुनिश्चित करें ।

4. हर दुकान संचालनकर्ता सुनिश्चित करें कि कैंची, कंघी, उस्तरा, ब्रश जैसी सामग्री जो बार–बार इस्तमाल होती है, उनकी सेट की संख्या बढ़ा दी जाए और इन्हें सेट क रूप में ही इस्तमाल होती है, सेट को एक–दूसरे से मिक्स ना करें ।

5. किसी ग्राहक के लिए 1 सेट का उपयोग करें तथा उपयोग की गई सामग्री को तत्काल नल के नीचे साबुन के पानी से धोयें तथा 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखें । अतः दुकानदार पानी गरम करने की सुविधा सुनिश्चित करें । जिसमें औजार साफ किये जायें या 15 मिनट तक डेटाल (Dettol) के पानी में रखे ।

6. ग्राहक दुकान में प्रवेश एवं बाहर जाते समय हाथ मुह आवश्यक रूप से धोंये ।

7. सेलुन कर्मचारी मास्क, हैंडग्लव्स का उपयोग कर कार्य करना सुनिश्चित करें । एक व्यक्ति से संबंधित कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद हाथ साबुन से धोयें । बार–बार चेहरे को हाथ न लगाएं ।

8. सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रस्त कर्मचारी को कार्य से छुट्टी दे एवं चिकित्सीय परामर्श देने के लिए सूचित करें ।

9. अल्ट्रावायलेट लाईट की मशीन यथासंभव रखी जा सकती है । जो कि दुकान बंद करते समय चालु (on) करके रख सकते हैं । इससे निर्जुनीकरण करना आसान होगा ।

10. शरीर को ढकने के लिए कपड़ा/टावेल के पर्याप्त सेट रखे ताकि प्रति व्यक्ति एक सेट का ही उपयोग किया जा सके । इसमें ग्राहक अपने लिए टावेल या कपड़ा ले आता है तो बेहतर होगा । जिससे Cross Infection की संभावना कम होगी ।

आदेशानुसार,